

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-10
संख्या-3551 / 1-10-2008-14(23) / 2004
लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2008

शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गयी मोटर बोट की मरम्मत तथा उपकरण हेतु शासनादेश संख्या-3269/1-10-2008-14(23)/2004, दिनांक 4 जुलाई, 2008 के प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 75,40,749/- को शब्दों में अंकित रूपया तीन लाख अठावन हजार पांचसौ पैंतीस मात्र के स्थान पर रूपया पचहत्तर लाख चालीस हजार सात सौ उन्चास मात्र पढ़ा जाय।

2. शासनादेश संख्या-3269/1-10-2008-14(23)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2008 उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।


(जी०/के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3551 (1) / 1-10-2008-14(23) / 2004, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग 6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजाराम)
अनु सचिव

संख्या: 3269 / 1-10-2008-14(23) / 2004

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 04 जुलाई, 2008

विषय: राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत तथा उपकरण
हेतु धनावटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के
कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बाढ़ राहत कार्य
की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत जापदा राहत निधि के लिए लागू प्रतिबन्धों एवं
शर्तों के अधीन राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत तथा बाढ़
राहत कम्पनियों हेतु जीवन रक्षक उपकरणों के कय हेतु निम्नांकित धनराशि आपके
निर्वहन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	विवरण	आवृत्त धनराशि
1	राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत	रु० 32,61,749/-
2	बाढ़ राहत कम्पनियों हेतु जीवन रक्षक उपकरण (171 लाइफब्याय, 452 लाइफ जैकेट, 11 नेट फिशिंग, 257 नायलान रस्सा, 120 ड्रेगन लाइट/सर्च लाइट, 599 जेरीकेन एवं 201 टार्च फोर हेड)	रु० 42,79,000/-
कुल योग		रु० 75,40,749/-
(रु० तीन लाख अठ्ठान हजार पांच सौ पैतीस मात्र)		

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक

विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति धनराशि में से राजस्व विभाग द्वारा कय की गई मोटर बोट की मरम्मत पर ही व्यय की जायेगी। उक्त मोटर बोट की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यांत्रिक डिजीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार किया जायेगा। बाढ़ राहत कम्पनियों हेतु जीवन रक्षक उपकरण का कय निर्धारित के अनुसार विलम्बतम एक माह में कय कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की जा रही है, इस हेतु ही धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न सामग्रियों की जो दरे लगायी जाय उससे कम दर पर वह सामग्री बाजार में उपलब्ध न हो, अर्थात् न्यूनतम दरे रखी जाय तथा स्टोर परचेज रूल्स के नियमों, उसमें निर्धारित प्रक्रिया तथा सम्बन्धित विभागों से निर्गत तदविषयक शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

6. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के व्यय के आकड़ों का पुस्तकन (बुकिंग) महालेखाकार कार्यालय के सत्यापन प्रमाण पत्र एवं निम्नांकित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित राजस्व अनुभाग-10 को दिनांक 15 सितम्बर, 2008 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय-

(क) व्यय का विवरण -

क्र०स०	उपकरण का नाम	क्षमता	प्रत्येक उपकरण की पहचान संख्या	मूल्य	गारंटी अवधि	जीवन अवधि


(ख) आपदा राहत निधि के पक्ष में अवशेष धनराशि रु० बैंक
ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... भारतीय स्टेट
बैंक, लखनऊ पर भुगतान हेतु वापस किया जा रहा है।

दिनांक:



मुहरयुक्त हस्ताक्षर

7. आपदा राहत निधि से जो नये उपकरण क्रय किये जाय उनके पूर्ण विवरण की एक पंजिका पी0ए0सी0 मुख्यालय पर रखी जाय, जिसमें आपदा राहत निधि से प्राप्त धनराशि का मदवार उल्लेख किया जाय।

भबदीय,

 (पी0के0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3269 (1)/1-10-2008-14(23)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- ✓ 7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग 6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


 (राज किशोर यादव)
 विशेष सचिव